भारत की राजपत्र The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II — Section 3 — Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1814] No. 1814] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2008/पीष 8, 1930 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2008/PAUSA 8, 1930

पर्यावरण और बन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2008

का. आ. 2981(अ).—जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5(क) के उप-खण्ड (1) के साथ पित उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 2005(अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2007 में निम्निलिखित संशोधन करती है, अर्थात :--

 केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसार एतद्द्वारा डॉ. घी. एन. अप्पाजी राव, के स्थान पर, श्री दौलत जैन, सदस्य को जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड कर उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत करती है।

[फा. सं. 11/11/2007-ए डब्ल्यू डी]

हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए, इससे पहले दिनांक 29 नवम्बर, 2007 को अधिसूचना सं. का.आ. 2005(अ), द्वारा भारत के राजपत्र में अधि सुचना प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2008

S.O. 2981(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 5(A) of Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number S.O. 2005(E) dated 29th November, 2007, namely:—

2. The Central Government hereby nominates Sh. Doulat Jain, Member to be the Vice Chairman of the Animal Welfare Board of India as per Subsection (3) of Section 5 of the aforesaid Act, in place of Dr. V. N. Appaji Rao.

[F. No. 11/11/2007-AWD]

HEM PANDE, Jt. Secy.

Note: The earlier notification regarding reconstitution of the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India wide number S.O. 2005(E), dated 29-11-2007.